

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक ३५८३ / मीरजापुर / ३३, , दिनांक, मीरजापुर, फरवरी, १२, , २०१८ |
सेवा में,

श्री के०सी० वर्मा

प्रबन्धक (तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एस-८ / १०८, एफ-४, डी०आई०जी० कालोनी,

मकबूल आलम रोड, वाराणसी-२२१००२ (उ०प्र०)।

विषय- वाराणसी-हनुमना रोड एन०एच०-७ (पैकेज २ & ३ डगमगपुर से हनुमना कि०मी० सं०-४९.१०० से १४०.२०० तक) चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाइवर्जन से प्रभावित १८.०८९५ हे० आरक्षित, ११३.६३०० संरक्षित कुल १३१.७१९५ हे० वन भूमि पर स्थिति वृक्षों के पातन की अनुमति एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत अनुमति प्रस्ताव।

संदर्भ- आपका पत्रांक-११०१५ / १/VNS/NH-७(Forest)/२०१७-१८/२८५०१ Dated ०९-०२-२०१८ .

महोदय,

वाराणसी-हनुमना रोड एन०एच०-७ (पैकेज २ & ३ डगमगपुर से हनुमना कि०मी० सं०-४९.१०० से १४०.२०० तक) चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाइवर्जन से प्रभावित १८.०८९५ हे० आरक्षित, ११३.६३०० संरक्षित कुल १३१.७१९५ हे० वन भूमि पर स्थिति वृक्षों के पातन की अनुमति एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत अनुमति प्रस्ताव आपके पत्रांक-११०१५ / १/VNS/NH-७(Forest)/२०१७-१८/२८५०१ Dated ०९-०२-२०१८ द्वारा पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० ०८०८० लखनऊ के पत्रांक १७ / ११-सी-लखनऊ दिनांक ०४.०७.२०१७ (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न दिशानिर्देश के अनुसार मिलान करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी।

१— आपके संदर्भित पत्र में वाराणसी — हनुमना एन०एच०-७(पैकेज २ & ३) डगमगपुर से हनुमना चैनेज कि०मी० सं० ४९.१०० से १४०.२०० हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उल्लिखित है। जबकि आप द्वारा प्रेषित आनलाइन प्रस्ताव में चन्दौली से हनुमना एन०एच०-७ कि०मी० सं० १५.१०० से १४०.२०० का उल्लेख किया गया है उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करावें।

२— प्रस्ताव ६ प्रतियों में उपलब्ध करावें।

३— चेकलिस्ट के अनुसार याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

४— यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेन्ट व प्रीमियम का निर्धारण।

५— प्रस्तावित वन भूमि हस्तानांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल

६— प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यास वार उसका मूल्य जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

७— परियोजना में पातित होने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित।

८— प्रस्तावित निर्माण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण।

९— भूमि की भू-गर्भीय संरचना का भू-गर्भ शात्री का प्रमाण पत्र।

१०— योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण पत्र।

११— जिस परियोजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक हो उस अनुमोदन का प्रमाण पत्र।

- 12— प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षति पूरक बृक्षारोपण हेतु जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप जो KML SHP फाइल मे हो तथा सी.डी. सहित ।
- 13— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र क्षति पूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तावित गैर भूमि का विवरण ।
- 14— भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
- 15— वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.2009 को निर्गत पत्र के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभाओं, उपजिलास्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं तिथि सहित हस्ताक्षर कर्ता का नाम तथा भारत सरकार की गाईड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- 16— पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
- 17— मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्ड कास सेक्शन (liner Plan) दिया जाए जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW का माप दर्शाया गया हो तथा तालिका स्वरूप में सड़क के किनारे पौधा रोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण ।
- 18— मलबा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ।
- 19— गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र ।
- 20— कमानुसार अंकित पृष्ठ संख्या के साथ पृष्ठ संख्या की सूची ।

अतः अनुरोध है कि किसी भी कार्यालय दिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि को भेज कर पूर्व प्रेषित प्रस्ताव प्राप्त कर लें तथा उपरोक्त कमियों का तीन दिवस के अन्दर निस्तारण कर अपेक्षित अभिलेख/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर प्रस्ताव पूर्ण करावें ताकि प्रस्ताव उच्च स्तर को स-समय अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 17/11—सी—लखनऊ दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या—३५४३ अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

भारत सरकार
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 केन्द्रीय कार्यालय (पाल्य)
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 Regional Office (Central Region)



कालिया भवन, पर्याप्त रुप, सेक्टर-II-एच, अलीगढ़, लखनऊ-220024
Kanilaya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aligarh, Lucknow- 220024, Tel/fax: 2326686, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) govtncfrollto@gmail.com

प्रांगण-१। निर्णय/६४०/२०१०-१७/कृषी०/शज०/दिल्ली/१११/३८। दिनांक- २३.०५.२०१७

બોલા ગી

मुख्य गम संस्थान एवं बोर्डल गविनेन्टी,
कन्सिलियर, 17 रामपाल प्रधान मार्ग,
हाईनगर।

ਪਾਸੂਭ ਪੁਖਾਂ ਗੇਮ ਸਾਂਕਲਨ (ਹਾਂਡ).

जिन्होंने अधिकारीय विभाग से अनुरोद दिया है कि विभाग में फैलाव के कारण सौम्यता में आपसी विवाद।

राज्य- दुर्गा कार्यसभ्य का पत्रांक- ११ / पिराम / ६१५ / २०१० / ए०१०, संलग्न तिथि- १०.०४.२०१०

1313

— नामिका विषय पर संक्षिप्त प्रत्यक्ष व्याख्या पढ़ाने करने का काम है। इस व्याख्याता के सम्बन्ध में बहुत कुछ जारी अध्ययन तथा विवेचन विभिन्न विद्यालयों द्वारा किये गये हैं। इनमें से एक विश्वविद्यालय की स्थैतिकि द्वारा प्राप्त व्याख्या के विवेचन एवं जीवों त्रुटियाँ पायी जा रही थीं ऐसे वह विश्वविद्यालय की प्रशासन प्राधारीय विभागीयों द्वारा संदर्भ पर विवेचन अनिवार्य के रूप में दिया गयेहै। विसे इस व्याख्याता के अन्तिम पार तिथि तक विश्व विद्यालय द्वारा जारी जीवों त्रुटियों को समीक्षा करने के लिए विश्व विद्यालय से जब — विश्व विद्यालय कर्म्मा पठाणे है विसे प्रत्यक्ष विस्तृतीये में व्यवस्थाका विलाप दाता है।

जाति प्रत्यक्षों में जापानी, पार्श्वी जाति चाहीं त्रिलोगी को विद्युतीकृत सुनी उपर्युक्त संस्कृति प्रयोग का योग्य अंतर्गत ग्रन्थ अवस्थाका आवश्यकता किया गया था, ऐसे एकांक विद्युतीकृत त्रिलोगी के अनुसार संस्कृति सुननार्थ प्रयोग में ग्रन्थ करने से इस प्रत्यक्षांक को अपने उत्तर-पर परिवर्तन कर द्या कामालय को विस्तृत किया गया।

प्रत्येक जगी में आप पापा कहा है कि वह अपनी प्रसवात्मिन की स्थानपरि दृष्टि प्राप्त प्रसवात्मिन एवं जागी परी के बीच अधिकारक व्याप्ति गे तिनां जबीं प्रसवात्मिनों की प्राप्तिरूपिणि हो जाती है एवं प्रसवात्मिन की स्थानपरि गे अवश्यक प्रसवात्मिन द्वारा विभाग्यनि रखा जाता है।

इस संकेत में वापरी पुनः अनुशोध किया जाता है कि गौविष्णव में जल भी बोझौर प्रारम्भ घोषणा हो, तो उसे उपरान्त पर जलों पर खाली परिणाम हो जाएगा और उपरान्त दोषभिंति पत्र के साथ चलाया जायेगा (प्राप्तिपूर्वी संरक्षण) तथा इसकी भवित्वी भी साधी/चुटि की पुनर्व्युत्पत्ति न हो साकि कल्प सं-काषण में प्रारम्भ घोषणा की जाएगी।

गहरीया में जन गुण के उत्तमानंतर नहीं रखते। यहाँ विशेष विकास में इस प्रकार के साथ सहायता देते हैं। यहाँ विशेष विकास की कफी चुनौती या पूर्णांशुरिया यों जाती है कि अत्यधिक यात्रा विकास के बाहर यात्रा कर दिया जाएगा और यहाँ विशेष विकास की सहायता देती है।

Page 10

300

बाहिं प्रायुष्य गुरुता तम संस्कार (५०)

कार्यालय, गुरु चन संस्थाक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

ਪੰਨਾਕ— ੧੭ /੧੧-ਸੀ— ਲਖਨਾਥ, ਦਿਨਾਂਕ: ਜੁਲਾਈ ੦੫, ੨੦੧੭

प्रतिलिपि:- 1-रागरत गण्डलीय गुरुद्वय वन रांक्षक एवं रागरता क्षेत्रीय वन रांक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश को सलानक सहित इस आशय से प्रेषित कि चन (रांक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैरव्याग्निकी प्रयोग विषयक ग्राम प्रस्तावों की संलग्न बिन्दुधार त्रुटियों को अनुसार सम्बन्धित सूचनाये प्रस्ताव में राही करते हुए, प्रस्ताव को अपने रत्तर पर परीक्षण कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि-2- सांगरत धोक्त्रीय प्रगामीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेपित कि वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोग विषयक प्राप्त प्रस्तावों की संलग्न विन्दुवार त्रुटियों के अनुराग रामगंधित सूचनायें प्रस्ताव में सही करते हुए, प्रस्ताव को अपने रत्न पर परीक्षण कर साम्यग्नित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से ही प्रेपित करें।

(डा० प्रशान्त कुगार वर्मा)
मुख्य बन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
एवं चापा० लाखनऊ।

वन (संरक्षण) अधिनियम—1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण—पत्रों की सूची

- ✓ 1— 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र जिसमें परियोजना क्षेत्र के आस—पास वन क्षेत्र का सीमांकन वन ब्लाक, कम्पार्टमेन्ट्स वार दर्शित किया गया हो। वैकल्पिक सरेखण, इन्डेक्स एवं शीर्षक सहित।
- ✗ 2— याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र जिसमें इष्ट उल्लेख हो, कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि छपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
- ✗ 3— भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रथलीय निरीक्षण रिपोर्ट तिथि सहित हस्ताक्षरकर्ता का नाम।
- ✗ 4— यदि भूमि लीज पर दी जानी हो, तो लीज अवधि प्रमाण—पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेन्ट व प्रीमियम का निर्धारण।
- ✗ 5— प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/विवरण एवं उस पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन।
- ✓ 6— प्रस्तावित वन भूमि हरतांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शीड्यूल एवं बारचार्ट (सड़क के लिए)।
- ✓ 7— परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश।
- ✓ 8— प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन नोट) प्रमाण पत्र।
- ✗ 9— प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार उसका मूल्य, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- ✗ 10— पारेषण लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सची, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित।
- ✗ 11— प्रस्तावित निर्माण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण।
- ✗ 12— भूमि की भू—गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण—पत्र।
- ✗ 13— योजना आयोग द्वारा गठित “टारक फोर्स” की संस्थानियों के मान्य होने का प्रमाण—पत्र।
- ✗ 14— जिस परियोजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक हो, उस अनुमोदन का प्रमाण—पत्र।
- ✓ 15— वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण—पत्र।
- ✓ 16— परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित सूचना 20 हेठो से अधिक के प्रस्ताव में। (निर्माण भाग 5)
- ✓ 17— प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 सहित।
- ✗ 18— प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन (रिटेल आउटलेट हेतु)।
- 19— क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन (रिटेल आउटलेट हेतु)।
- 20— प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे वौने (मुख्यतः औपधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन (विद्युत पारेषण लाईन हेतु)।
- ✗ 21— क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता।
- 22— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित रथल का प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 सहित।

- X 23- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित रथल का प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र।
- ✓ 24- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित रथल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।
- ✓ 25- प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता।
- X 26- प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता।
- 27- Eco Class के अनुसार एन०पी०वी० की गणना, जो प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- X 28- भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 29- भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदन (रिटेल आउटलेट हेतु)।
- 30- रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है, उस भूमि की मूल खतौनी सम्बन्धित अधिकार से प्रतिहस्ताक्षरित सहित।
- 31- भारत सरकार के पत्रांक एफ०न०-११-२६८/२०१४-एफ०सी०, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिश निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण-पत्र। (रिटेल आउटलेट हेतु)।
- 32- मुख्य वन्यजीव प्रतिलिंगलक की संरक्षित (वन्यजीव क्षेत्र के लिए)।
- 33- प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में समिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
- X 34- वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.09 को निर्गत पत्र के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभाओं, उपजिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र एवं तिथि सहित हस्ताक्षरकर्ता का नाम अथवा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- X 35- पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- ✓ 36- मार्ग चौड़ीकरण का रेटर्न कास रोक्शन (Liner Plan) दिया जाए, जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा तालिका स्वरूप में सङ्क के किनारे पौधा रोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण।
- ✓ 37- गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रमाणित छायाप्रति।
- ✓ 38- परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभ वनाधिकारी/निदेशक का प्रमाण-पत्र।
- X 39- मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निरसारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- X 40- गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निरसारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र।
- X 41- कमानुसार अंकित, पृष्ठ संख्या के साथ पूर्ण पृष्ठ तालिका की सूची।
- 42- On line data entry का Acknowledgement slip/Timeline Detail
- भूड़ोर्फी
16 जून 2015

प्रस्तोत्र में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियाँ/ त्रुटियाँ

1. चेक लिस्ट का अधूरा भरा होना।
2. पृष्ठ तालिका न बना होना/अधूरा बना होना एवं पृष्ठ संख्या का न दिया होना।
3. प्रस्ताव में सही कम में पृष्ठ संख्या का न होना।
4. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पत्र न लगा होना।
5. वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र का न लगा होना।
6. परियोजना के विभिन्न अवयवों के लिए वन भूमि की आवश्यकता तथा इन अवयवों का स्पष्ट रेखा चित्र एवं क्षेत्रफल की गणना के साथ न होना।
7. प्रस्तावित परियोजना का वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य का न लगा होना।
8. विभिन्न पृष्ठों पर दी गयी सूचना/आकड़ों में गिन्तता।
9. प्रभागीय बनाधिकारी के स्थल निरिक्षण आख्या का अधूरा होना तथा अनुशंसा का अग्रव होना एवं हस्ताक्षरकर्ता का नाम व तिथि का न दिया होना।
10. प्रस्ताव में रांगन विभिन्न दरतावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक का न होना।
11. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम न दिया होना।
12. प्रस्ताव में शामिल सभी वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण (चेक लिस्ट नं 8 एवं 9) तथा बार-चार्ट का लगा हुआ न होना।
13. मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निरतारण तथा Reclamation plan का न होना या अधूरा होना या विना प्रभागीय बनाधिकारी के स्वीकृति के होना।
14. राडक चौड़ीकरण के गामले में राडक की वर्तमान चौड़ाई एवं वर्तमान ROW, प्रस्तावित चौड़ाई एवं प्रस्तावित ROW तथा सङ्क के किनारे पौधारोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण तालिका स्वरूप में न लगा होना।
15. रांगुक्त निरिक्षण आख्या का अधूरा होना।
16. गैकल्पिक रारेखण/स्थल का टोपोशीट पर दर्शाया हुआ न होना।
17. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सूची का न होना।
18. 05/20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्तावों में लागत-लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रपत्र पर न होना।
19. छायाप्रति अपठनीय एवं बिना रात्यापन के होना।
20. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का न दिया होना।
21. वृक्षों की गणना सूची एवं उसके सार में गिन्तता।
22. वृक्षों की गणना सूची एवं सार का प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होना।
23. वन संरक्षण अधिनियम की अवहेलना की सूचना सही तरीके से नहीं भरा होना।
24. प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित न होना।
25. टोपोशीट की मूल प्रति या रंगीन छायाचित्र न होना।

26. प्रतावित स्थल को दर्शाते हुए तथा अक्षंश एवं देशान्तर दर्शाते हुए राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित डिजिटल मैप का लगा हुआ न होना।
27. पैद्रोल पम्प के मामले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान (लंबाई चौड़ाई की गणना के साथ) न होना तथा इसमें दर्शायी गयी लम्बाई एवं चौड़ाई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न होना और प्रस्ताव को इन दोनों रोमेल खाते हुए न होना।
28. वनाधिकार अधिनियम से संबंधित निर्धारित प्रमाण पत्र एवं अनुलग्नकों सहित न लगा होना तथा हस्ताक्षरकर्ता का नाम तिथि और मुहर लगा हुआ न होना।
29. नंकशे में शीर्षक तथा तालिका (index) का न होना।
30. गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूस्तागी का सहगति पत्र न लगा होना।
31. मलवा निस्तारण के लिए विस्तृत मलवा निस्तारण योजनाका न होना (मलवा निस्तारण योजना हेतु विन्दुवार चाही गयी सूचनाओं की सारिणी संलग्न है)
32. उपलब्ध कराये गये मानचित्र में शीर्षक तथा संकेत तालिका (index) का न होना।
33. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मूल प्रति को प्रस्तुत न करना।
34. रिटेल आर्टलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है, उस भूमि की मूल खत्तौनी संबंधित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरि करवाकर पठनीय प्रति प्रस्तुत करें।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या में कमियाँ/त्रुटियाँ

1. लगायी गयी सभी शर्तों की अनुपालना भेजने के बजाय अधूरी अनुपालना भेजना।
2. प्रताव में दर्शायी गयीं धनराशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जगा की गयी धनराशि में अन्तर होना।
3. रौद्रान्तिक स्वीकृति और अनुपालना की तिथि के बीच में लम्बा अन्तराल होने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र लगा हुआ न होना।
4. कैम्पा में धनराशि प्रताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तानुसार न जमा होना।
5. एक रो अधिक प्रस्तावों रो संबंधित धनराशि सम्मिलित रूप से कैम्पा में जमा किया जाना (जिसके फलस्वरूप कैम्पा नई दिल्ली में धनराशि जगा होने की पुष्टि होने में अनावश्यक विलम्ब होता है)
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार धनराशि जगा करने हेतु आर०टी०जी०एस०/वैंक ड्रापट का माध्यम न प्रयोग करना एवं आर०टी०जी०एस०/वैंक ड्रापट के माध्यम से धनराशि जगा करने की स्थिति में आर०टी०जी०एस०/वैंक ड्रापट रूपरूप एवं सही ब्यौरा न उपलब्ध न करना।
7. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में रौद्रान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार जगा धनराशि पुष्टि हेतु निर्धारित प्रपत्र का न भरा जाना/त्रुटिपूर्ण भरा जाना।